

2025-1376
सेवाओं,

216/2025

प्रशासन गांवों के संग अधिनियम-2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड नावा जिला DK
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती नाममात्र अन्याय राजस्व मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136।
धारा:- पटवारी पटवार हल्का ठिकारिया कला
महोदय,
उपर्युक्त विषयान्वयित विवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है जिसका विवरण निम्नानुसार है

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्तर्लार्डन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
पटवार हल्का ठिकारिया कला	काला पुत्र ² किराना जाति	काला पुत्र ³ किराना जाति उर्मा टि/4
राजस्व ग्राम ब्राह्मिदा	दि. 4 गुर्जर स्त्री-देव खतेवाट	स्त्री. देव खतेवाट। रादिन SBI
आता संख्या 151	रादिन SBBJ शाजा मारोठ	शाजा मारोठ।
संख्या संख्या 105,106		
रकबा हेक्टेयर में 0.72		

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का गिशन लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर गजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार राजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व न.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशासा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):-

सी.प्र.जी SBBJ के शाजा मारोठ के ज्ञान वर्तमान जमाबंदी के बक उदिष्ट SBI शाजा मारोठ कि जाता उक्ति है।

न.अ.निरीक्षक
तहसीलदार की टिप्पणी :-

24.6.25
हस्ताक्षर पटवारी
पटवारी मू. अ. ठिकारिया कला
नावा

हस्ताक्षर
NTDR मारोठ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावा जिला डीडवाना कुचामन
कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ दिनांक:- 25-6-25

आदेश
प्रार्थी काला पुत्र किराना निवासी वाटलिया के आवेदन तथा हल्का पटवारी व न.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के विन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर्शनद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावा (डीडवाना-कुचामन)

कमांक/राजस्व/धारा 136/2025 PDU/12
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक:- 25-6-25

1. तहसीलदार नावा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
2. हल्का पटवारी ठिकारिया कला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक काला को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
नावा (डीडवाना-कुचामन)